



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 120-2025/Ext.]

चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 9 जुलाई, 2025  
(18 आषाढ़, 1947 शक)

### विधायी परिशिष्ट

| क्रमांक | विषय वस्तु  | पृष्ठ     |
|---------|---|-----------|
| भाग-I   | अधिनियम<br>कुछ नहीं   |           |
| भाग-II  | अध्यादेश<br>कुछ नहीं  |           |
| भाग-III | प्रत्यायोजित विधान<br>अधिसूचना संख्या का०आ० 61/ह०अ०15/1979/धा० 4, 5 तथा 16/2025,<br>दिनांक 09 जुलाई, 2025- हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (पेंशन तथा अंशदान भविष्य-निधि)<br>संशोधन नियम, 2025. | 2991—2992 |
| भाग-IV  | शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन<br>कुछ नहीं  |           |

**भाग—III****हरियाणा सरकार**

उच्चतर शिक्षा विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 9 जुलाई, 2025

**संख्या का०आ० 61/ह०अ०15/1979/धा० 4, 5 तथा 16/2025.**— हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 1979 (1979 का 15) की धारा 4 और 5 तथा धारा 16 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (पेंशन तथा अंशदान भविष्य-निधि) नियम, 1999 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (पेंशन तथा अंशदान भविष्य-निधि) संशोधन नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।  
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (पेंशन तथा अंशदान भविष्य-निधि) नियम, 1999 में, नियम 15 में, उप नियम (3) में, खण्ड (1) में, उप-खण्ड (छ) में,—
  - (i) अन्त में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, ‘;’ चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
  - (ii) निम्नलिखित उप-खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“(ज) मानसिक विकार या अशक्तता से पीड़ित या शारीरिक रूप से अपंग या अशक्त पुत्र और पुत्री, उनकी आयु को ध्यान में रखे बिना, बशर्ते कि वे कर्मचारी के जीवित रहते समय उस पर पूर्ण रूप से आश्रित थे।”।

विनीत गर्ग,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
उच्चतर शिक्षा विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**HIGHER EDUCATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 9th July, 2025

**No. S.O. 61 /H.A.15/1979/S.4, 5 and 16/2025.**— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with sub-section (2) of section 16 and sections 4 and 5 of the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Act, 1979 (15 of 1979), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Affiliated Colleges (Pension and Contributory Provident Fund) Rules, 1999, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Affiliated Colleges (Pension and Contributory Provident Fund) Amendment Rules, 2025.
- (2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Haryana Affiliated Colleges (Pension and Contributory Provident Fund) Rules, 1999, in rule 15, in sub-rule (3), in clause (1), in sub-clause (g),-
  - (i) for the sign ','existing at end, the following sign '.' shall be substituted; and
  - (ii) the following sub-clause shall be added, namely:-

“(h) son and daughter suffering from disorder or disability of mind or physically crippled or disabled irrespective of his/her age provided they were wholly dependent upon the employee when he/she was alive.”.

VINEET GARG,  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,  
Higher Education Department.